ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न0–1, सैक्टर–के0 पी0–4, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला–गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in

पत्रांकः अर्बन सर्विस/2018/ 511 दिनांकः 20/07/2018

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 112वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07.07.2018 में लिये गये निर्णय के अनुसार ग्रुप हाउसिंग/बिल्डर्स भूखण्डों पर पार्ट कम्पलीशन के प्रकरणों में, आवंटी को उक्त परियोजना में स्वीकृत कुल यूनिट्स के सापेक्ष कम्पलीशन हेतु आवेदित यूनिट्स की संख्या के अनुपात में भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल के आधार पर आवेदित यूनिट्स का क्षेत्रफल आगणित कर उक्त क्षेत्रफल के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा निर्धारित जल शुल्क दर के अनुसार जल शुल्क लिया जायेगा। उदाहरणतः –

1.	भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल	–	50 एकड़ (202350 वर्गमीटर)
2.	परियोजना में स्वीकृत कुल यूनिट्स	–	5000 नग
3.	कम्पलीशन हेतु आवेदित यूनिट्स	–	2000 नग
4.	कम्पलीशन हेतु आवेदित यूनिट्स के सापेक्ष भूखण्ड का अनुपातिक क्षेत्रफल	–	$\frac{2000}{5000}$ X 202350 = 80940 वर्गमीटर
5.	वर्तमान दरों के अनुसार देय जल शुल्क (10 एकड़ तक रू0 94215.00 + अतिरिक्त 10 एकड़ हेतु रू0 72480.00)	–	रू0 1,66,695.00 (वार्षिक अग्रिम)

अग्रिम जलशुल्क का समायोजन पूर्व पद्धति से ही जलशुल्क देयक देय होने पर किया जायेगा। ग्रुप हाउसिंग/बिल्डर आवंटियों द्वारा पार्ट कम्पलीशन के प्रकरणों में उपरोक्तानुसार जल शुल्क (वार्षिक अग्रिम के रूप में) इस शर्त के साथ देय होगा कि ग्रुप हाउसिंग/बिल्डर आवंटियों द्वारा उनको आवंटित भूखण्ड के कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते समय भूखण्ड पर पूर्व में जमा कराया गया जल शुल्क समायोजित नहीं किया जायेगा।

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
अपर मुख्यकार्यपालक अधिकारी

1. स्टाफ ऑफीसर को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (टी0/जी0) को, सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्षों ( )को सूचनार्थ।
4. गार्ड फाईल।

अपर मुख्यकार्यपालक अधिकारी